

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2016—माघ 2, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. एफ. ए-3-02-2016-1-पांच(10).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 57 की उपधारा (2) के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-195-2005-1-पांच(25), दिनांक 31 मार्च 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 34 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाए, अर्थात् :-

- 35 समस्त प्रकार के कन्फेक्शनरी, बिस्किट्स, नमकीन तथा बेकरी सामान;
- 36 समस्त प्रकार की खली एवं सोया मील;
- 37 समस्त प्रकार के फैब्रिक;
- 38 समस्त प्रकार के मोटर वाहन;
- 39 समस्त प्रकार के खेल का सामान;
- 40 समस्त प्रकार के सूटकेस तथा बैग;
- 41 समस्त प्रकार के टायर्स, ट्यूब्स तथा फ्लेक्स;
- 42 समस्त प्रकार के कांच तथा उनसे निर्मित वस्तुएं;
- 43 समस्त प्रकार के खिलौने;
- 44 समस्त प्रकार की घड़ियां;

- 45 समस्त प्रकार के नॉन-फेरस स्क्रैप;
- 46 ऐसबेस्टस शीट तथा उससे निर्मित वस्तुएं;
- 47 एल्यूमिनियम तथा उससे निर्मित वस्तुएं;
- 48 कांटेदार तार;
- 49 सीमेन्ट तथा उससे निर्मित वस्तुएं;
- 50 कैमीकल;
- 51 कम्प्यूटर तथा उनके पुर्जे एवं सूचना प्रौद्योगिकी, उत्पाद;
- 52 कॉपर तथा उससे निर्मित वस्तुएं;
- 53 डी. जी. सेट;
- 54 पेपर तथा प्लास्टिक के दोना-पत्तल, गिलास और कप;
- 55 विस्फोटक;
- 56 फ्लश डोर;
- 57 चश्मे, उनके लेंस तथा भाग;
- 58 शराब;
- 59 मिनरल वाटर;
- 60 मिल्क पाउडर तथा सोया मिल्क पाउडर;
- 61 मच्छर तथा कीट प्रतिकारक (रिपेलेंट);
- 62 नॉन एल्कोहोलिक पेय;
- 63 प्री फेब्रीकेटड स्टील स्ट्रक्चर्स;
- 64 तम्बाकू;
- 65 ट्रेक्टर, एसेसरीज तथा उनके पुर्जे;
- 66 प्लास्टिक से बनी जल संग्रहण टंकिया.".

2. ये संशोधन दिनांक 22 जनवरी 2016 से प्रवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्र. एफ. ए-3-02-2016-1-पांच(10).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-02-2016-1-पांच(10), दिनांक 22 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, सचिव.

Bhopal, the 22nd January 2016

No. F A-3-02-2016-1-V (10).—In exercise of the powers conferred by first proviso to sub-section (2) of Section 57 of the Madhya Pradesh Vat, Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification No. F-A-3-195-2005-1-V (25) dated 31st March 2006, namely:—

AMENDMENTS

In the said notification in the table, after serial number 34 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be added, namely:—

- | | |
|-----|---|
| “35 | All kinds of confectionery, biscuits, namkeen and bakery goods; |
| 36 | All kinds of de-oiled cake (DOC) including soya meal; |
| 37 | All kinds of Fabrics; |
| 38 | All kinds of Motor Vehicles; |
| 39 | All kinds of Sports goods; |
| 40 | All kinds of suitcases and bags; |
| 41 | All kinds of tyres; tubes and flaps; |
| 42 | All kinds of Glass and goods made thereof; |
| 43 | All kinds of toys; |
| 44 | All kinds of watches and clocks; |
| 45 | All kinds of non-ferrous scrap |
| 46 | Asbestos sheets and goods made thereof; |
| 47 | Aluminium and goods made thereof; |
| 48 | Barbed wire; |
| 49 | Cement and goods made thereof; |
| 50 | Chemical; |
| 51 | Computer and parts thereof and Information Technology Products; |
| 52 | Copper and goods made thereof; |
| 53 | D. G. sets; |
| 54 | Dona-pattal, tumblers and cups of paper and plastics; |
| 55 | Explosives; |
| 56 | Flush door; |
| 57 | Goggles, their lenses and parts; |
| 58 | Liquor; |
| 59 | Mineral water; |
| 60 | Milk powder and soya milk powder; |
| 61 | Mosquito and insect repellents; |
| 62 | Non alcoholic beverages; |
| 63 | Prefabricated steel structures; |
| 64 | Tobacco; |
| 65 | Tractor, accessories and parts thereof; |

2. This Notification shall come into force with effects from 22nd January 2016.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI, Secy.